महत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक–3/प.क./सेल–3/2019/ 661 भोपाल, दिनांक 21-6-2019

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– **जिला स्तरीय संवर्ग के शासकीय सेवकों के जिलान्तर्गत स्थानांतरण के संबंध में।**

संदर्भः– **संचालनालय का पत्र क्रं. 3/प.क./सेल–3/2018/157 दिनांक 15.02.2018 एवं क्रं. 624 दिनांक 07.06.2018.**

//00//

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6–1/2019/एक–9 दिनांक 04 जून 2019 द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2019–20 की कंडिका 5 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों का जिले के अंदर स्थानांतरण जिला कलेक्टर क़े माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जाने का निर्देश है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि शासन के उक्त निर्देश के अनुक्रम में जिले में कार्यरत बहुउद्‌देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं बहुउद्‌देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) के जिले के अंदर स्थानांतरण नियमानुसार उन्हीं संस्थाओं में किया जाये, जहॉ ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. का नियमित पद तथा नियमित कर्मचारी की पदस्थापना शासन द्वारा स्वीकृत हो, अन्यथा नहीं। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा आदेश की अवहेलना/उल्लंघन होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

<u>**संचालक, प्रशासन द्वारा अनुमोदित**</u>

21.06.2019

उप संचालक (परिवार कल्याण)

पृ0 क्रमांक–3/प.क./सेल–3/2019/ 662 **भोपाल, दिनांक** 21-6-2019

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. निज सहायक, संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।

21.06.2019

उप संचालक (परिवार कल्याण)